SPL
ED894244451 IA 27/12/21

By Speed Post

F. No.A-12018/03/2020-EPI
भारत सरकार/ Government of India
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/ Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ Directorate General of Health Services
ई पी आई अनुभाग/ EPI Section

निर्माण भवन, नई दिल्ली/Nirman Bhawan, New Delhi
दिनाँक/ Dated: 21st December, 2021

To

निदेशक,
Director,
बी. सी जी. वैकसीन प्रयोगशाला
BCG Vaccine Laboratory,
गिण्डी, चैन्नई-600032
Guindy, Chennai – 600032

बी.सी.जी. वैकसीन प्रयोगशाला भारत सरकार चेन्नै / CHENNAI GOVT. OF INDIA VACCINE LABORATORY 6424 27/12/2021

Sub: Recruitment Rules 2021 for the post of Mechanic in Level -2, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial at BCGVL, Chennai – reg.

Sir,

Please find herewith a copy of Notification of Recruitment Rules 2021 for the post of Mechanic in Level – 2 at BCGVL, Chennai published in Part II, Section 3, Sub-section (i) on 11.12.2021 vide G.S.R. 156 dated 24.11.2021 in the Official Gazette for information and necessary action. This notification is also available on the website of GOI Press "Gazette of India".

Yours faithfully,
Hemlata Singh
(Hemlata Singh)
Section Officer (EPI)

Encl: As above

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैकेनिक	7* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900 - 63200 रुपये)	अचयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतलीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** :भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से निम्नलिखित में से किसी भी व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण -पत्र सहित12 वीं कक्षा उत्तीर्ण – (क) फिटर (ख) विद्युतनंत्री (ग) इलेक्ट्रॉनिक्स (घ) रेफरिजरेशन और एयर-कंडीशन मैकेनिक (ङ) वायरमैन **वांछनीय** : रेफिरिजरेशन और एयर-कंडीशन या मैकेनिकल या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

विद्युत में डिप्लोमा। **टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हताएं निदेशक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर निदेशक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1)18000 -56900 रुपये (में ऐसे कर्मशाला परिचर जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** :जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - अध्यक्ष; (2) प्रशासनिक अधिकारी, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से राजपत्रित अधिकारी - सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - अध्यक्ष; (2) प्रशासनिक अधिकारी, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/03/2020-ईपीआई]

प्रेम नारायण, अपर सचिव

New Delhi, the 24th November, 2021

G.S.R. 156.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Mechanic

(Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mechanic in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Mechanic (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non – selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mechanic	7* (2021) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Non selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for *those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,* Manipur, Nagaland, Tripura,

					Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
12[th] class pass with Industrial Training Institute certificate in any of the following trades from a recognised Institute:- (a) Fitter (b) Electrician (c) Electronics (d) Refrigeration and Air-Condition Mechanic (e) Wireman **Desirable:** Diploma in Refrigeration and Air Condition or Mechanical or Electrical. **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the direction of the Director in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes, if any stage of selection, the Director is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits	(i) Sixty per cent. by promotion; (ii) Forty per cent. by direct recruits.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Workshop Attendant in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) with three years regular service. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai, -Chairman; (2) Administrative officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai. -Member; (3) Gazetted officer from Central Government or	Not applicable.

provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	State Government. -Member. Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai, -Chairman; (2) Administrative officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai, -Member; (3) Gazetted officer from Central Government or State Government, -Member.	

[F.No. A-12018/03/2020-EPI]

PREM NARAIN, Under Secy.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

सा.का.नि.157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान खंड, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आर्थिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।